बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन,लि0
खाद्य भवन, दरोगा प्रसाद राय पथ, आर, ब्लॉक रोड नं0-2 पटना-1

पत्रांक- 12:01:06: 6: 2015-5051 पटना/दिनांक- 21/5/18

प्रेषक,

महाप्रबंधक(आधुनिकीकरण),
निगम मुख्यालय, पटना।

सेवा में,

सभी जिला प्रबंधक,
राज्य खाद्य निगम,
बिहार।

विषय- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण शत् प्रतिशत जी0पी0एस0 एवं लोडसेल युक्त वाहन से करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत् जिलों को प्राप्त आवंटन के विरूद्ध आवंटित खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण शत् प्रतिशत जी0पी0एस0 एवं लोडसेल युक्त वाहन से कराने का पूर्व से निदेश है तथा उसी के आधार पर परिवहन अभिकर्त्ता/डोर स्टेप डिलेवरी संवेदक को कराये गये परिवहन एवं हथालन विपत्र का भुगतान किया जाता है। समीक्षा के क्रम में कतिपय जिलों से यह सूचना प्राप्त हुई है कि अधिशेष सी0एम0आर0 प्राप्त करनेवाले जिलों से रेल रैक के माध्यम से आवश्यकता वाले जिलों में सी0एम0आर0 का उठाव एवं रेल हेड तक बिना जी0पी0एस0 एवं लोडसेल युक्त वाहन से सी0एम0आर0 का परिवहन कराया जा रहा है जो निगम के निर्धारित मापदंड एवं नियम के विपरीत है। विदित है कि बिना जी0पी0एस0/लोडसेल युक्त वाहन से परिवहन कराये गये खाद्यान्न के मामले में दंड अधिरोपित कर आर्थिक दर पर खाद्यान्न का मूल्य परिवहन अभिकर्त्ता मुख्य एवं डोर स्टेप डिलेवरी परिवहन अभिकर्त्ता से राशि की वसूली का प्रावधान निर्धारित है। इसके अतिरिक्त ऐसे मामले में संलिप्त पदाधिकारी/कामिक को दोषी मानते हुये नियमानुसार कार्रवाई किये जाने का भी प्रावधान निहित है।

अतः निदेश दिया जाता है कि विक्रेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति के अन्तर्गत अधिशेष सी0एम0आर0 का वाह्य जिलों में रेल रैक के माध्यम से प्रेषण हेतु सी0एम0आर0 गोदाम से जी0पी0एस0 एवं लोडसेल युक्त वाहनों से ही रेल हेड तक परिवहन कराना सुनिश्चित किया जाय। भविष्य में इस तरह का मामला प्रकाश में आता है तो संबंधित सहायक प्रबंधक/उठाव प्रभारी एवं परिवहन-सह-हथालन अभिकर्त्ता (मुख्य डी0एस0डी0) के साथ-साथ आपके विरूद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

विश्वासभाजन,

19.05.18

महाप्रबंधक(आधुनिकीकरण)।

ज्ञापांक 12:01:06:06:2015-5051 पटना/दिनांक 21/5/18
प्रतिलिपिः- सभी जिला पदाधिकारी, बिहार की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.5.18

महाप्रबंधक(आधुनिकीकरण)।

ज्ञापांक 12:01:06:6:2015-5051 पटना/दिनांक 21/5/18
प्रतिलिपिः- उप महाप्रबंधक परिवहन, निगम मुख्यालय, बिहार की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.05.18

महाप्रबंधक(आधुनिकीकरण)।

NTPDS